फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 206/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास लगभग 58 वर्ष पूर्व हो चुका है। उनकी जगह जमाबन्दी में हमारे तीनो भाईयों का नाम दर्ज हो चुका है। पिताजी का नाम जमाबन्दी में धीस्या लिखा हुआ है। अब समय के अनुसार हमारे आचार कार्ड एवं राशन कार्ड तथा सभी दस्तावेजात में पिताजी का नाम घासीराम दर्ज है। कृपया खाता संख्या 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 में हमारे नाम जमीन दर्ज है। अतः धीस्या की जगह घासीराम जाति बागडा ब्राहम्ण किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने कथन किया कि पिताजी का नाम जमाबन्दी में धीस्या लिखा हुआ है। अब समय के अनुसार हमारे आचार कार्ड एवं राशन कार्ड तथा सभी दस्तावेजात में पिताजी का नाम घासीराम दर्ज है। कृपया खाता संख्या 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 में हमारे नाम जमीन दर्ज है। अतः धीस्या की जगह घासीराम जाति बागडा ब्राहम्ण किया जावे। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीगण की वाके ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर के खाता संख्या 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 में वर्णित खसरा नम्बरान् में प्रार्थीगण के पिता धीस्या के स्थान पर घासीराम जाति बागडा ब्राहम्ण करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:07 IST
Reason: SelfAttested